

# FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. ....

## फर्द अहकाम (नियम 26)

न अदालत ..... मुकाम .....  
 करिबिह वनाम पुभार  
 तस्स मुकदमा ..... नम्बर 344/2019 वर्ष .....  
6415-2019/00217

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>29/2/25</u> को पेश हो।	
27 <sup>02</sup> / <sub>02/25</sub>	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>16/05/25</u> को पेश हो।	
16-5-25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>15/07/25</u> को पेश हो।	
15-7-25	पत्रावली पेश हुई। कुलाय अनु०। प्रकरण में कोई समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई, बावजूद उभय पक्ष अथवा पक्षकारों में से कोई भी एजिड अदालत नहीं आये। अतः कुलाय उभय पक्ष अथवा पक्षकारों की अनुपस्थिति में जा० प्रव अर्द्ध० धारा 151 C.P.C. को अदम लागू व अदम बैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल हुकर होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दोषिल कपतर हो।	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथावा (सीकर)